न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 224/2019
GCMS NO. : **2019/00267**

–:: वादी :– **बनाम** **–:: प्रतिवादीगण :–**

वादी:

1. रणजीतसिंह पुत्र मोतीलाल जाति–जाट, निवासी– झूझण्डा, तहसील–जैतारण जिला–पाली राज.।

प्रतिवादीगण:

1. बरकतखां पुत्र मांगीलाल
2. सलीमखां पुत्र मांगीलाल
3. घीसा पुत्र रसूल खां फौत के कायम मुकाम :–
   3/1. सिकन्दर पुत्र घीसा
   3/2. सिक्का पुत्र घीसा
   3/3. पिस्ता पुत्री घीसा
   3/4. लीला पुत्री घीसा
   3/5. धापूड़ी पत्नी घीसा
4. लालमोहम्मद पुत्र करीमखां
5. सुभानखां पुत्र करीमखां
6. गनी मोहम्मद पुत्र करीमखां
7. निजामुद्दीन पुत्र करीमखां
8. पताई पुत्री करीमखां
9. गजराई पुत्री करीमखां
   जातियान– मुसलमान, निवासीगण– बिरोल, तहसील जैतारण, जिला– पाली राज0।
10. जयप्रकाश पुत्र सुगनाराम जाति मेघवाल निवासी डिगरना तहसील–जैतारण जिला– पाली राज0।
11. अकबर अली पुत्र लालूखां
12. रहीसा पत्नी साबूदीन
    जातियान– तेली मुसलमान।
13. सत्यनारायण पुत्र बालूराम जाति–जाट, निवासीगण बिरोल, तहसील–जैतारण जिला पाली राज0।
14. अमराराम पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी डिगरना तहसील जैतारण जिला– पाली राज0।
15. शेरूखां पुत्र आसूखां
16. रईसा पुत्री आसूखां
17. मुमताज पुत्री आसूखां
    जातियान– तेली मुसलमान, निवासीगण– बिरोल, तहसील– जैतारण जिला पाली राज0।
18. तहसीलदार, जैतारण, जिला–पाली राज.।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.02.12.2019**

उपस्थितः– 1. श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनांक:– 09/12/2020**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बटवाड़ा ... ई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.12.17 15:15:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बिरोल, पटवार हल्का बिरोल, में वादी एवं प्रतिवादी की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 372 रकबा 0-11 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 373 रकबा 24-00 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 373/2 रकबा 59-16 किस्म चाही दोयम कुल खसरा नम्बर 3 कुल रकबा 84-06 बीघा की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी व प्रतिवादीगण सभी माफिक अपने अपने हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। नकल जमाबन्दी वादपत्र के साथ पेश है, जिसे वादपत्र का आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में सामलाती है, जिसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा नहीं हो रखा है तथा न ही राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान का कोई हिस्सा अंकित ही है। तथा मौके पर उपरोक्त वर्णित आराजी पक्षकारान अपनी सहमति से अपने हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा आपसी सहमति से उक्त आराजी का मौके पर बंटवाड़ा कर रखा है। परन्तु कानूनन बंटवाड़ा नहीं हो रखा है। तथा मौके पर हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में सामलाती होने एवं कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नहीं होने से वादी को अनेको प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जिसमें वादी अपने हिस्से में खाद बीज डालकर उसे उपजाऊ नहीं बना सकता है, कृषि कुआं नहीं खुदवा सकता है। विद्युत कनेक्शन नहीं ले सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड भी नहीं बनवा सकता है। उपरोक्त वर्णित आराजी का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नहीं से एवं पक्षकारान के मध्य हिस्से का खुलासा नहीं होने स वादपत्र में वर्णित आराजी को पक्षकारान आगे से आगे विवादित आराजी को अपनी मनमर्जी से रहन, बेचान, व बक्शीश करने को आमादा है। तथा प्रतिवादीगण बिना बंटवाड़ा करवाये एवं बिना अपने हिस्से का अंकन करवायें किसी अन्य को बेचान कर प्रतिवादीगण अपने गैर कानूनी कार्य को ओर आगे जारी रखेगें तो वादी का अपूर्णीनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी क़दर संभव नहीं है। यदि वादी की आराजी बिना बंटवाड़ा कराये गैर कानूनी कृत्य होता तो वादी अपने साम्पैतिक अधिकारों से वंचित होगा। इसलिए वादी का यह वाद बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नहीं हो जाता तब तक प्रतिवादीगण उक्त आराजी में किसी प्रकार से मौके की स्थिति को रद्दो बदल करते है या बिना बंटवाड़ा करवाये बिना किसी प्रकार से हिस्से का अंकन करवायें अजनबी क्रेता को रहन, बेचान, वसीयत या अन्य हस्तांतरण करते हो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसा करने का प्रतिवादीगण को कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक ईरादों में कामयाब होते है तो मौके पर लड़ाई झगड़ होगें, मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिग्स बढ़ेगी एवं अनेकों प्रकार की मुकदमेंबाजी होगी। जिससे वादी अपने जायज हक व अधिकारों से हमेशा के लिए महरूम हो जायेगा। इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। दिनांक 28.11.2019 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करने का कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार [illegible] धमकी दी कि वो उसे मौके से बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर अपना कब्जा [illegible] तथा इसका अजनबी व्यक्तियों को रहन, बेचान व अन्य हस्तांतरण [illegible]

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.12.17 15:15:43 IST
Reason: SelfAttested

अपने जायज हक व अधिकारों से महरूम हो जायेगा एवं अपने साम्पैतिक अधिकारों से वंचित हो जायेगा। जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति का मूल्यांकन रूपयों में भी नहीं आंका जा सकेगा। प्रतिवादीगण अजनबी व्यक्तियों के साथ मिलकर धनबल के आधार पर आये दिन वादी की आराजी में दखल व दस्तन्दाजी कर रहे एवं उन्हें बेदखल करने की पूरी कोशिश कर रहे। यदि प्रतिवादीगण अपने इन गैरकानूनी मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं तो वादी अपने जायज हक व अधिकारों से हमेश के लिए वंचित हो जायेगा। इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादी संख्या 27 तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण, भूमिधारी राजस्थान सरकार होने से बंटवाड़ा के वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। जबकि उनके विरूद्ध वादी ने कोई अनुतोष नहीं चाहा है। बिनाय वाद दिनांक 28.11.2019 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को उसके हक हिस्से की भूमि से जबरदस्ती बेदखल करने व भूमि को जरिये रहन, बेचान, के अन्य हस्तांतरण करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम बिरोल, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 10 व 14 की और से वकालतनामा पेश हुआ एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9, 11 से 13 और 15 से 17 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 10 व 14 की ओर से इकबालिया जवाब दावा एवं कॉउन्टर क्लेम पेश किया गया, जो सा० मि० है। वकील वादी कॉउन्टर क्लेम का जवाब नहीं देना चाहते है। जवाब बन्द किया गया। वकुलाय उभयपक्ष बहस हेतु तैयार होने से बहस सुनी गई। वकुलाय उभयपक्ष ने जाहिर किया कि मुताबिक राजस्व रेकर्ड बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के विभाजन हेतु वाद प्रा. डिक्री किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है माफिक राजस्व रेकर्ड प्राथमिक डिक्री किया जाकर पक्षकारान में बंटवाड़ा करने का आदेश प्रदान करावें।

पटवारी पटवार हल्का बिरोल द्वारा यह अवगत कराया है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय हाजा से पूर्व में निर्णित वाद संख्या 22/2018 बेअनवान सुनिल बनाम सलीम खां में पारित निर्णत क्रम में स्वीकृत नामांतरण संख्या 1521 दिनांक 17.02.2020 द्वारा खाता विभाजन होने से खसरा नम्बर 373/1 रकबा 12-01 बीघा भूमि मूल रकबे से पृथक की जा चुकी हैं। इस प्रकार वर्तमान में वादग्रस्त आराजी का कुल रकबा 95-16 बीघा के स्थान पर कुल रकबा 83-15 बीघा शेष रहता है जिसमें खसरा नम्बर 373 रकबा 24-00 बीघा व खसरा नम्बर 373/2 रकबा 59-15 बीघा है, शेष यथावत रहा, जिसके अनुरुप विभाजन प्रस्तावित किया गया है।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात यथा जमाबन्दी संवत् 2073-76 का गहनता से अध्ययन किया गया। जमाबंदी संवत् 2073-2076 खसरा नम्बर 372 रकबा 0-11 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 373 रकबा 24-00 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 373/2 रकबा 59-15 किस्म चाही दोयम कुल [illegible] नम्बर [illegible] 84-06 बीघा के रेकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। जिसका वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 10 व 14 बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा चाहते है, [illegible] राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.12.17 15:13:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी

रकर्ड वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा बिरोल, पटवार हल्का बिरोल, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में स्थित खसरा नम्बर 372 रकबा 0-11 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 373 रकबा 24-00 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 373/2 रकबा 59-15 किस्म चाही दोयम कुल खसरा नम्बर 3 कुल रकबा 84-06 बीघा की भूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2020/891 दिनांक 23/10/2020 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2020/5325 दिनांक 1/12/2020 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। बहस के दौरान उभयपक्ष अधिवक्ता ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट परं गौर किया। हम वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व निर्णित वाद संख्या 22/2018 बेअनवान सुनिल बनाम सलीम खां वगैरा में पारित निर्णय की अनुपालना में खाता विभाजन होने से स्वीकृत नामांकन संख्या 1521 दिनांक 17.02.2020 द्वारा पृथक हुए खसरा संख्या 373/1 के कुल रकबा 12-01 बीघा को हस्तगत प्रकरण में विभाजन हेतू प्राथमिक डिक्री में उल्लेखित कुल रकबा 95-16 में से कम करते हुए शेष रकबा 83-15 अर्थात् खसरा नम्बर 373 रकबा 24-00 बीघा व खसरा नम्बर 373/2 रकबा 59-15 बीघा तथा विभाजन से अप्रभावित खसरा संख्या 372 रकबा 0-11 बीघा इस प्रकार कुल रकबा 84-06 बीघा के अनुरूप प्राथमिक डिक्री को संशोधित करते हुए माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा बिरोल, पटवार हल्का बिरोल, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में स्थित खसरा नम्बर 372 रकबा 0-11 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 373 रकबा 24-00 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 373/2 रकबा 59-15 किस्म चाही दोयम कुल खसरा नम्बर 3 कुल रकबा 84-06 बीघा की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा	किस्म
1.	रणजीत सिंह पुत्र मोतीलाल कौम जाट सा. झुझण्डा खातेदार	373/4	4-0	दो.

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishn
Date: 2020.12.17 15:15:43 IST
Reason: SelfAttested

2.	अमराराम पुत्र पोकरराम कौम जाट सा. डिगरणा खातेदार	373/5	2-0	चाही दो.
		373/7	1-0	चाही दो.
		373/8	2-01	चाही दो.
		372	0-11	चाही दो.
	योग	**04**	**5-12**	**चाही दो.**
3.	जयप्रकाश पुत्र सुगनाराम कौम मेघवाल सा. डिगरणा खातेदार	373/6	5-01	चाही दो.
		373/9	6-19	चाही दो.
	योग	**02**	**12-0**	**चाही दो.**
	सलीम खां बरकत खां पि. मांगीलाल हिस्सा 241/1254, घीसाराम पुत्र रसूल के का.मु. सिकन्दरखां सिक्का खां पि. घीसुखां, पिस्ता, लीला पुत्रियां घीसुखां, धापुड़ी पत्नी घीसुखां हिस्सा 241/1254, हजारी पत्नी करीम खां लालमोहम्मद, सुभानखां, गनीमोहम्मद निजामुदीन पि. करीम, पताई, गलराई पुत्रिया करीम हिस्सा 482/1254, कौम लुहार, सा0देह, अकबर अली पुत्र लालु खां हिस्सा 161/1254, रईसा पत्नी साबुदीन, साबुदीन पुत्र आसुखां हिस्सा 48/1254, रईसा मुमताज पि. आसुखाँ हिस्सा 33/1254 कौम तेली, सत्यनारायण पुत्र बालूराम कौम जाट हिस्सा 48/1254 सा0 देह खातेदार।	373	18-00	चाही दो.
		373/2	42-03	चाही दो.
		373/10	2-11	चाही दो.
	योग	**03**	**62-14**	**चाही दो.**

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 09/12/2020 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bi
Date: 2020.12.17 15:15:43 IS
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-:: वादी :- **बनाम** **-:: प्रतिवादीगण :-**

1. रणजीतसिंह पुत्र मोतीलाल जाति- जाट, निवासी- झूझण्डा, तहसील-जैतारण जिला-पाली राज.।

1. बरकतखां पुत्र मांगीलाल
2. सलीमखां पुत्र मांगीलाल
3. घीसा पुत्र रसूल खां फौत के कायम मुकाम :-
   3/1. सिकन्दर पुत्र घीसा
   3/2. सिक्का पुत्र घीसा
   3/3. पिस्ता पुत्री घीसा
   3/4. लीला पुत्री घीसा
   3/5. धापूड़ी पत्नी घीसा
4. लालमोहम्मद पुत्र करीमखां
5. सुभानखां पुत्र करीमखां
6. गनी मोहम्मद पुत्र करीमखां
7. निजामुद्दीन पुत्र करीमखां
8. पताई पुत्री करीमखां
9. गजराई पुत्री करीमखां जातियान- मुसलमान, निवासीगण- बिरोल, तहसील जैतारण, जिला- पाली राज0।
10. जयप्रकाश पुत्र सुगनाराम जाति मेघवाल निवासी डिगरना तहसील- जैतारण जिला- पाली राज0।
11. अकबर अली पुत्र लालूखां
12. रहीसा पत्नी साबूदीन जातियान- तेली मुसलमान।
13. सत्यनारायण पुत्र बालूराम जाति- जाट, निवासीगण बिरोल, तहसील- जैतारण जिला पाली राज0।
14. अमराराम पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी डिगरना तहसील जैतारण जिला- पाली राज0।
15. शेरुखां पुत्र आसूखां
16. रईसा पुत्री आसूखां
17. मुमताज पुत्री आसूखां जातियान- तेली मुसलमान, निवासीगण- बिरोल, तहसील- जैतारण जिला पाली राज0।
18. तहसीलदार, जैतारण, जिला-पाली राज.।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 224/2019

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .... व हाजरी श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री ... मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि सरहद मौजा ...ल, ...र हल्का बिरोल, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में स्थित खसरा नम्बर 372 रकबा

सहायक कलेक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bish
Date: 2020.12.17 15:15:43 IST
Reason: SelfAttested

बा[illegible] किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 373 रकबा 24-00 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 373/2 रकबा 59-15 किस्म चाही दोयम खसरा नम्बर 3 कुल रकबा 84-06 बीघा की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा	किस्म
1.	रणजीत सिंह पुत्र मोतीलाल कौम जाट सा. झुझण्डा खातेदार	373/4	4-0	चाही दो.
2.	अमराराम पुत्र पोकरराम कौम जाट सा. डिगरणा खातेदार	373/5	2-0	चाही दो.
		373/7	1-0	चाही दो.
		373/8	2-01	चाही दो.
		372	0-11	चाही दो.
	योग	**04**	**5-12**	**चाही दो.**
3.	जयप्रकाश पुत्र सुगनाराम कौम मेघवाल सा. डिगरणा खातेदार	373/6	5-01	चाही दो.
		373/9	6-19	चाही दो.
	योग	**02**	**12-0**	**चाही दो.**
	सलीम खां बरकत खां पि. मांगीलाल हिस्सा 241/1254, घीसाराम पुत्र रसूल के का.मु. सिकन्दरखां सिक्का खां पि. घीसुखां, पिस्ता, लीला पुत्रियां घीसुखां, धापुड़ी पत्नी घीसुखां हिस्सा 241/1254, हजारी पत्नी करीम खां लालमोहम्मद, सुभानखां, गनीमोहम्मद निजामुदीन पि. करीम, पताई, गलराई पुत्रिया करीम हिस्सा 482/1254, कौम लुहार, सा0देह, अकबर अली पुत्र लालु खां हिस्सा 161/1254 रईसा पत्नी साबुदीन, साबुदीन पुत्र आसुखां हिस्सा 48/1254, रईसा, मुमताज पि. आसुखाँ हिस्सा 33/1254 कौम तेली, सत्यनारायण पुत्र बालूराम कौम जाट हिस्सा 48/1254 सा0 देह खातेदार।	373	18-00	चाही दो.
		373/2	42-03	चाही दो.
		373/10	2-11	चाही दो.
	योग	**03**	**62-14**	**चाही दो.**

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 09/12/2020 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक [illegible] पदेन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.12.17 15:15:43 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	06	-00	स्टाम्प वकालतनामा	01	-00
स्टाम्प वकालतनामा	01	-00	स्टाम्प अर्जी	02	-00
स्टाम्प वजह सबूत		=	महनताना वकील		
महनताना वकील		=	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	07	-00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा		=	मुत्फरिक		
मिजानः-	14	-00	मिजानः-	03	-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.12.17 15:15:43 IST
Reason: SelfAttested